

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-203/2025 दिनांक 22.07.2025)
***दिनांक-22.07.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

हिन्दू नाबालिग लड़की को भगा कर धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 22.07.2025 को थाना नेबुआ नौरंगिया पर पीड़िता के मां सुनीता देवी पत्नी अनिल गुप्ता साकिन कोटवा कला द्वारा तहरीर दिया गया कि उनकी नाबालिग लड़की उम्र लगभग 17 वर्ष को नौशाद अंसारी पुत्र नूरहसन साकिन मोतीछपरा थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर के द्वारा भगा ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना नेबुआ नौरंगिया पर मु0अ0सं0 282/25 पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा घटना के अनावरण एवं पीड़िता की सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस टीमो को गठन किया गया था। जिसके क्रम में थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 22.07.2025 को घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त नौशाद अंसारी पुत्र नूरहसन साकिन मोतीछपरा थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पूछ-ताछ विवरण-

वादिनी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त नौशाद अंसारी पुत्र नूरहसन साकिन मोतीछपरा थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर द्वारा धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म किया गया। तथा उसके द्वारा बताया गया कि वह सऊदी में कमा रहा था एवं वर्तमान में पीड़िता को भगाकर धर्मपरिवर्तन करा कर नेपाल में रहने के लिये जा रहा था। अभियुक्त द्वारा पीड़िता का नाम बदलकर नूर जहां कर दिया गया और इसी नाम से आधार कार्ड बनवा दिया गया।

पंजीकृत अभियुक्त-

मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 282/25 137(2)/87/64/340(2)/336(3)
बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म
संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021



Edit with WPS Office

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त-

नौशाद अंसारी पुत्र नूरहसन साकिन मोतीछपरा थाना नेबुआ नौरंगिया
जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

पीड़िता का बनवाया गया कूट रचित आधार कार्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री दीपक कुमार सिंह थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद
कुशीनगर ।

2-उ०नि० श्री संदीप कुमार यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
।

3-का० परमेश यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर।

4-का० संदीप यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर।

5-म०का० बेबी थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर।

***हिन्दू नाबालिग लड़की को पहचान छुपाकर तथा शादी का झांसा देकर
धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार-***

दिनांक 21.07.2025 को पुलिस अधीक्षक, जनपद
कुशीनगर द्वारा की जा रही जनसुनवाई के दौरान थाना सेवरहीं क्षेत्रान्तर्गत
पीड़िता की मां रिता देवी पत्नी प्रभुनाथ गौंड सा० जगदीशपुर द्वारा प्रार्थना
पत्र दिया गया कि उनकी नाबालिग लड़की उम्र लगभग 12 वर्ष को
सज्जाद हुसैन उर्फ आशिक पुत्र नसीरुद्दीन सा० झड़वा थाना तरयासुजान
जनपद कुशीनगर के द्वारा शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराकर
दुष्कर्म किया गया । प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल थाना सेवरहीं
पर मु०अ०सं० 227/25 का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उपरोक्त
अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों को गठन कर आवश्यक
दिशा-निर्देश दिये गये थे । जिसके क्रम में थाना सेवरहीं पुलिस टीम द्वारा
आज दिनांक 22.07.2025 को घटना में संलिप्त अभियुक्त सज्जाद
हुसैन उर्फ आशिक पुत्र नसीरुद्दीन सा० झड़वा थाना तरयासुजान जनपद
कुशीनगर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पूछ-ताछ विवरण-

पूछ-ताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वादिनी की नाबालिग
पुत्री उम्र करीब 12 वर्ष को अभियुक्त सज्जाद हुसैन उर्फ आशिक पुत्र
नसीरुद्दीन सा० झड़वा थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर उम्र 24 वर्ष
द्वारा पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण करना व



उसके साथ शादी कर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया तथा पीड़िता का नाम बदलकर सोनी खातून पत्नी सज्जाद हुसैन के नाम से आधार कार्ड बनवा लिया । सज्जाद हुसैन उर्फ आशिक स्कूल ग्लोबल विलेज स्कूल झड़वा थाना तरयासुजान में मारूती वैन चलाता था इसी दौरान उसने उसी स्कूल की पढ़ने वाली लड़की को अपना नाम चुनू बताकर उसको अपने झांसे में लिया एवं उसका यौन शोषण किया और धर्म परिवर्तन कराकर विवाह करने की योजना बनाया था।

पंजीकृत अभियुक्त-

मु0अ0सं0 227/2025 धारा 65(2) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट व (5)(3) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त-

सज्जाद हुसैन उर्फ आशिक पुत्र नसीरुद्दीन सा0 झड़वा थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

पीड़िता का बनवाया गया कूट रचित आधार कार्ड,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर ।
- 2-उ0नि0 श्री आकाश सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर ।
- 3-का0 सुबेदार यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर ।
- 4-का0 संजय यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर ।
- 5-का0 उधम सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर ।

चोरी के आभूषण को बेचकर प्राप्त 5230/- रुपये नगद, एक अदद मोटरसाइकिल आदि के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.07.2025 को थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 217/2025 धारा 303(2) /317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त शिकरम उर्फ दीपक डोम पुत्र स्व0 सुरेन्द्र डोम सा0 कांशीराम आवास पुरवा चौराहा थाना कोतवाली देवरिया जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से, चोरी हुये आभूषण को बेचकर प्राप्त 5230/- रुपये, घटना मे प्रयुक्त एक अदद टीवीएस मोटरसाइकिल वा0सं0 UP52CE1113, एक अदद एण्ड्रायड



मोबाईल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 217/2025 धारा 303(2) /317(2) बीएनएस थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

शिकरम उर्फ दीपक डोम पुत्र स्व0 सुरेन्द्र डोम सा0 कांशीराम आवास पुरवा चौराहा थाना कोतवाली देवरिया जनपद देवरिया

बरामदगी विवरण-

01. चोरी हुये आभूषण को बेचकर प्राप्त धनराशि 5230 रुपये
02. घटना मे प्रयुक्त एक अदद टीवीएस मो0सा0 संख्या UP52CE1113
03. एक अदद एण्ड्रायड मोबाईल ओप्पो कम्पनी
04. आधार कार्ड

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

01. प्र0नि0 श्री चन्द्रभूषण प्रजापति थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
02. उ0नि0 सौरभ द्विवेदी चौकी प्रभारी बोदरवार थाना कप्तानगंज कुशीनगर
03. उ0नि0 अंकित सिंह थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
04. हे0का0 बृजेश राय थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
05. का0 विनय यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
06. का0 मंजेश यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टियों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.07.2025 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा मु0न0 1003/2023 धारा 363,366,376 भादवि0 व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वारण्टीगण 1. हरिश्चन्द्र गिरी पुत्र सीताराम व 2. रमेश गिरी पुत्र कमला निवासीगण जरार थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



पंजीकृत अभियोग

मु0न0 1003/2023 धारा 363,366,376 भादवि0 व ¾ पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. हरिश्चन्द्र गिरी पुत्र सीताराम निवासी जरार थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
2. रमेश गिरी पुत्र कमला निवासी जरार थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम—

1. उ0नि0 विमलेश यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
2. का0 कमलेश यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
3. का0 आशीष कुमार को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार—

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.07.2025 को थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा मु0नं0 1990/2020 धारा 147,323,504,506 भादवि0 से संबंधित वारण्टी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग—

मु0नं0 1990/2020 धारा 147,323,504,506 भादवि0

गिरफ्तार वारण्टी—

हरिलाल पुत्र झपसी साकिन अमवादीगर थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर हाल पता साकिन परसौनी टोला भरपटिया थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम—

1. प्र0नि0 श्री महेन्द्र राम प्रजापति थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
2. व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 घनश्याम गौतम थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
4. का0 धीरज पाल थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
5. का0 सुनील सरोज थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
6. म0का0 रश्मि यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर



थाना रामकोला पुलिस द्वारा दहेज हत्या आदि के मुकदमे में 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.07.2025 को थाना रामकोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 316/2025 धारा 108,85,61(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्तगण 1. राजाराम यादव पुत्र सुभाष यादव साकिन बडहरा लक्ष्मीपुर टोला जगरनाथपुर थाना रामकोला जनपद कुशीनगर व 2. सुभाष यादव पुत्र स्व0 पांचू साकिन बडहरा लक्ष्मीपुर टोला जगरनाथपुर थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही का जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 316/2025 धारा 108,85,61(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. राजाराम यादव पुत्र सुभाष यादव साकिन बडहरा लक्ष्मीपुर टोला जगरनाथपुर थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
2. सुभाष यादव पुत्र स्व0 पांचू साकिन बडहरा लक्ष्मीपुर टोला जगरनाथपुर थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री राज प्रकाश सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
2. हे0का0 लक्ष्मण सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
3. का0 जयहिन्द यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
4. का0 राजहंस यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा एक नफर वारंटी को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.07.2025 को थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा 1.मु0नं0 638/22 धारा 128 सीआरपीसी से संबंधित वारण्टी अजीमुल्लाह पुत्र मनेजर मियां साकिन मधुरिया थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-



Edit with WPS Office

गिरफ्तार वारंटी-

अजीमुल्लाह पुत्र मनेजर मियां साकिन मधुरिया थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री स्वतंत्र कुमार सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 ब्रह्म कुमार उपाध्याय चौकी प्रभारी मधुरिया थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
3. का0 सुरेन्द्र यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 62 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-53 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-57, व्यक्ति-170
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(09)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-71)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

